

जम्मू-कश्मीर परसीमन आयोग की अंतरमि रपिएरट

प्रलिमिस के लिये:

परसीमन आयोग और संबंधित संवैधानिक प्रावधान, लोकसभा, विधानसभा, सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 370

मेन्स के लिये:

भारतीय संविधान, चुनाव, वैधानिक नियम, परसीमन प्रक्रिया, जम्मू-कश्मीर का परसीमन और संबंधित मुद्दे।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अपनी अंतरमि रपिएरट में जम्मू-कश्मीर (J&K) परसीमन आयोग ने जम्मू-कश्मीर के चुनावी मानचित्र में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव दिया है।

- राज्य में परसीमन की कवायद जून, 2021 में शुरू हुई थी।



II

जम्मू-कश्मीर नियाचन क्षेत्रों का पूर्व वितरण:

- पूर्व में जम्मू-कश्मीर राज्य में 87 सदस्यीय विधानसभा थी, जिसमें जम्मू क्षेत्र में 37, कश्मीर संभाग में 46 और लद्दाख में 4 नियाचन क्षेत्र थे। इसके अलावा 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के लिये आरक्षित थीं।
- 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थितिको नियस्त करने के बाद इसने अपना विशेष दरजा खो दिया और यह दो

केंद्रशासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में वभिजति हो गया।

जम्मू-कश्मीर परसीमन आयोग की प्रमुख सफिराईं:

■ परचियः

◦ वधिनसभा क्षेत्रों में वृद्धि:

- आयोग ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत प्रदत्त जनादेश के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में सात वधिनसभा क्षेत्रों को जोड़ा।
- अंतरमि रपिरट में जम्मू प्रांत के लिये छह सीटों की वृद्धि का प्रस्ताव है जिसमें निवाचन क्षेत्रों की संख्या को 43 करना, कश्मीर प्रांत में एक सीट की वृद्धितथा सीटों की संख्या को 47 तक करना और दोनों क्षेत्रों को लगभग एक-दूसरे के बराबर लाना शामिल है।
- आयोग ने जम्मू-कश्मीर में अधिकांश वधिनसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फरि से निर्धारित करने का सुझाव दिया है। इसने 28 नए निवाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन किया है तथा 19 वधिनसभा क्षेत्रों को हटा दिया है।

◦ वधिनसभाओं में आरक्षणः

- आयोग ने अनुसूचित जातियों (SCs) के हटियों के लिये सात सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव किया है जो मुख्य रूप से सांबा-कटुआ-जम्मू-उधमपुर बेल्ट में निवास करती हैं और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिये नौ सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है जो जम्मू प्रांत में राजौरी-पुंछ बेल्ट में रहने वाले ज़्यादातर गैर-कश्मीरी भाषी मुसलमानों, गुरजर और बकरवाल के लिये मददगार साबित होंगी।

◦ लोकसभा की सीटों में वृद्धि:

- आयोग ने लोकसभा निवाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का प्रस्ताव किया है। जम्मू-कश्मीर में पाँच संसदीय क्षेत्र हैं, जिसमें कश्मीर से तीन सीटें और जम्मू से दो सीटें शामिल हैं।
- इसने दक्षणि कश्मीर के तीन ज़िलों तथा पीरपंजाल घाटी के दो ज़िलों राजौरी और पुंछ को मिलाकर एक लोकसभा सीट का प्रस्ताव दिया है तथा इसका नाम अनंतनाग-राजौरी सीट होगा।

■ आलोचना:

◦ कश्मीर में अधिकांशादीः

- इस सीट के बैंटवारे की इस आधार पर आलोचना की गई किंकश्मीर प्रांत की जनसंख्या 68.88 लाख है, जबकि जम्मू प्रांत में 53.50 लाख लोग निवास करते हैं।
- हालाँकि आयोग का तरक्क है कि उसने स्थलाकृति, संचार के साधन और उपलब्ध सुविधा को ध्यान में रखकर इन सीटों का बटवारा किया है, न कि केवल जनसंख्या के आकार को।

◦ पुनर्गठन असंवैधानिकः

- यह दावा किया गया है कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 "सपष्ट रूप से असंवैधानिक" था और इसे पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है।

◦ विकाधीन प्रक्रया:

- आलोचकों ने आयोग द्वारा जम्मू-कश्मीर के मामले में लागू किये गए फॉर्मूले पर भी सवाल उठाया है और आयोग की रपिरट को एक मनमानी/विकाधीन प्रक्रया करार दिया है, रपिरट में इलाके/क्षेत्रों की आवादी को नज़रअंदाज किया गया है जो वधिनसभा और संसदीय क्षेत्रों की सीमाओं को पुनः परभिष्ठि करने हेतु एक बुनियादी मानदंड है।

परसीमनः

- निवाचन आयोग के अनुसार, कसी देश या एक वधियाई निकाय वाले प्रांत में क्षेत्रीय निवाचन क्षेत्रों (वधिनसभा या लोकसभा सीट) की सीमाओं को तय करने या फरि से परभिष्ठि करने का कार्य परसीमन है।
- परसीमन अभ्यास (Delimitation Exercise) एक स्वतंत्र उच्च शक्तिवाले पैनल द्वारा किया जाता है जिसे परसीमन आयोग के रूप में जाना जाता है, जिसके आदेशों में कानून का बल होता है और कसी भी न्यायालय द्वारा इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।
- कसी निवाचन क्षेत्र के क्षेत्रफल को उसकी जनसंख्या के आकार (पछिली जनगणना) के आधार पर फरि से परभिष्ठि करने के लिये वर्षों से अभ्यास किया जाता रहा है।
- एक निवाचन क्षेत्र की सीमाओं को बदलने के अलावा इस प्रक्रया के परणामस्वरूप राज्य में सीटों की संख्या में भी परविरत्न हो सकता है।
- संविधान के अनुसार, इसमें अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिये वधिनसभा सीटों का आरक्षण भी शामिल है।

उद्देश्यः

- परसीमन का उद्देश्य समय के साथ जनसंख्या में हुए बदलाव के बाद भी सभी नागरिकों के लिये समान प्रतिनिधित्व सुनाशिच्चति करना है। जनसंख्या के आधार पर निवाचन क्षेत्रों का उचित वभिजन करना ताकि प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को प्रतिनिधित्व का समान अवसर प्रदान किया जा सके।

परसीमन का संवैधानिक आधारः

- प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद-82 के तहत एक परसीमन अधिनियम लागू किया जाता है।
- अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद परसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निवाचन क्षेत्रों में वभिजति किया जाता

है।

- एक बार अधनियम लागू होने के बाद केंद्र सरकार एक परसीमन आयोग का गठन करती है।
 - परसीमन आयोग प्रत्येक जनगणना के बाद संसद द्वारा परसीमन अधनियम लागू करने के बाद अनुच्छेद 82 के तहत गठित एक स्वतंत्र नियम है।
- हालाँकि पहला परसीमन अभ्यास राष्ट्रपति द्वारा (नरिवाचन आयोग की मदद से) 1950-51 में किया गया था।
- 1952, 1962, 1972 और 2002 के अधनियमों के आधार पर चार बार 1952, 1963, 1973 और 2002 में परसीमन आयोगों का गठन किया गया है।
 - वर्ष 1981 और वर्ष 1991 की जनगणना के बाद परसीमन नहीं किया गया।

परसीमन आयोग की संरचना:

- परसीमन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और यह भारतीय नरिवाचन आयोग के सहयोग से काम करता है।
- संरचना:
 - सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश।
 - मुख्य चुनाव आयुक्त।
 - संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त।

परसीमन की आवश्यकता क्यों?

- देश के वभिन्न भागों के साथ-साथ एक ही राज्य के भीतर वभिन्न नरिवाचन क्षेत्रों में जनसंख्या की असमान वृद्धि
- साथ ही लोगों/नरिवाचकों के एक स्थान से दूसरे स्थान, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर नरितर प्रवास के परिणामस्वरूप एक ही राज्य के भीतर भी वभिन्न आकार के चुनावी क्षेत्र हैं।

परसीमन के मुद्दे:

- जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में कम उचित है उन्हें संसद में अधिक संख्या में सीटें मिल सकती हैं। परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाले दक्षिणी राज्यों को अपनी सीटें कम होने की संभावना का सामना करना पड़ा।
- वर्ष 2002-08 तक परसीमन जनगणना 2001 के आधार पर की गई थी लेकिन वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार, विधानसभाओं और संसद में तय की गई सीटों की कुल संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया था।
- संविधान ने लोकसभा एवं राज्यसभा सीटों की संख्या को क्रमशः 550 तथा 250 तक सीमित कर दिया है और बढ़ती जनसंख्या का प्रतनिधित्व एक ही प्रतनिधिद्वारा किया जा रहा है।

स्रोत: द हंडू